कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बाढ़

पत्रांक ....714.... / बाढ़ / दिनांक ....17/06/2021....

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बाढ़

सेवा में,

M/s Dhanshwarnath COnst.
Lalit Niketan Colony, Sanjay Gandhi Nagar, Kankarbagh, Patna

विषय :– एम0एम0जी0एस0वाई0 एस0सी0 योजनान्तर्गत बेनुआबसार चकजलाल पी0एम0जी0एस0वाई पथ से काजीचक का निर्माण कार्य का निर्माण कार्य का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं करने के संबंध में।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्रांक 563 दिनांक 30.05.2021 एवं पत्रांक 624 दिनांक 02.06.2021

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग के आलोक में कहना है कि विषयांकित पथ का निर्माण कार्य आपके द्वारा एकरारनामा संख्या 03/एस0बी0डी0/2015–16 के अधीन पूर्ण किया गया है। एकरारनामा के अनुसार पूर्णता की तिथि से पॉच वर्षा तक अनुरक्षण कार्य आपको करना है तथा पथ को Defect Free हालत में रखना है। परन्तु आपके द्वारा पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं कराया गया है, जो काफी खेदजनक है। अनुरक्षण के अभाव में सरकारी सम्प्रति का ह्रास हो रहा है जिसके लिए पूर्णतः आप जिम्मेवार है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि पत्र निर्गत की तिथि से सात दिनों के अन्दर अनुरक्षण कार्य पुर्ण करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा आठवें दिन पथ का अंतिम मापी कर लिया जायेगा, जिसमें कि आपकी या आपके द्वारा प्राधिक्रत व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य होगी। उपस्थित नहीं रहने पर भी आपको कोई दावा मान्य नहीं होगा एवं अतिम मापी कर लि जायेगी। तदोपरांत एकरारनामा के सुसंगत कंडिका के तहत आपको डिबार करते हुऐ एकरारनामा को विखंडित करने की कारवाई करते हुऐ अग्रधन एवं जमानत की राशि जप्त कर लिया जायेगा। साथ ही अनुरक्षण कार्य विभाग द्वारा अन्य माध्यम से करा लिया जायेगा तथा राशि की वसूली आपके जमानत एवं अन्य राशियों से किया जायेगा।

विश्वासभाजन

17/06/21

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बाढ़

17-6-21

Scanned with CamScanner